क्र0सं0-53 (क)

रजिस्टर्ड नम्बर-एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0-91/2014-16
लाईसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1- खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ शुक्रवार, 13 मार्च, 2020

फाल्गुन 23, 1941 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 421/79-वि-1-20-1(क)-11-2020

लखनऊ, 13 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण)
अधिनियम, 2020
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2020)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने और तदधीन या तत्संबंध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरणङ करने लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2- समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल (जिसे आगे उक्त रूल कहा गया है) के नियम 56 में, खण्ड (ङ) में प्रतिबंधात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 जनवरी, 2006 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3- किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा-3-1508/10-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 (यथा संशोधित) के पैरा 6 के निबन्धनों में रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित उक्त रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेंगी मानों उक्त अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 जनवरी, 2006 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (ङ) में यह उपबंध है कि ऐसे प्रत्येक सरकारी सेवक, जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्त पेंशन संदेय होगी और सेवानिवृत्त संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हो, उपलब्ध होगें। प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ कोई ऐसा सरकारी सेवक, जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहॉ नियुक्त प्राधिकारी उसे पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह संस्तुत किया है कि सरकारी सेवकों को बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर अर्थात दिनांक 01-01-2006 से पूर्ण पेंशन की अनुज्ञा दी

जानी चाहिए। उक्त नियम का उपबंध शासनादेश संख्या सा-3-1508/10-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 और शासनादेश संख्या सा-3-जी0आई0-28/दस-2008, दिनांक 6 जनवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या सा-3-1622/10-2010-308/97, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किया जा चुका है, किन्तु यथा पूर्वोक्त उपबंध उक्त खण्ड में विदयमान है। छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति के समान तत्संबंधी उपबंध करने के लिए दिनांक 01-01-2006 से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 के उक्त खण्ड (ङ) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-द्वितीय
प्रमुख सचिव